निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 वैशाख 1941 (श0)

(सं0 पटना 554) पटना, बुधवार, 24 अप्रील 2019

वित्त विभाग

आदेश

5 अप्रील 2019

सं० रा0वि0आ0(6)का0–02/2019–3489—भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(I) सहपठित 243 (Y) के अनुपालन में तथा बिहार पंचायत राज अंधिनियम, 2006 की धारा 168 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 71 के प्रावधानों के अंतर्गत विभागीय अधिसूचना–1835 दिनांक–20.02.2019 द्वारा षष्ठम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन/मानदेय एवं अन्य सुविधाओंका निर्धारण वित्त विभाग के अंतर्गत विचाराधीन था। विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों को देय सुविधाएँ निम्न प्रकार होगी :–

1. **वेतन**–(i) अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नियुक्त अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत कर्मियों, जिनका पेंशन केन्द्र सरकार पर भारित होता है, उन्हें मासिक वेतन के रूप में वही राशि प्राप्त होगी, जो उन्हें पेंशन प्रदायी सेवा में सेवानिवृति के समय प्राप्त मूल वेतन (यथा अद्यतन पुनरीक्षित)+ देय अनुमान्य मंहगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पुनरीक्षित पेंशन की राशि घटाने के बाद शेष होगी। पेंशन पर मंहगाई राहत पुनर्नियुक्ति अवधि में अनुमान्य नहीं होगा। देय वेतन पर 16% की दर से मकान किराया भत्ता देय होगा।

(ii) वैसे सदस्य जो अन्य श्रोतों से वेतन प्राप्त करते है, को प्रतिमाह रू0 50,000/– (पचास हजार) मानदेय के रूप में अनुमान्य होगा

2. **वाहन सुविधा**–आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को वित्त विभाग द्वारा वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।
3. सरकारी कर्त्तव्य के लिए वायुयान एवं रेल से यात्रा किए जाने पर माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगणों को उनके पूर्व के सेवा स्तर के आधार पर अनुमान्य होगा।
4. **दूरभाष**– आयोग के माानीय अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यालय में दूरभाष ब्रॉडबैन्ड सहित अधिष्ठापित किया जायेगा। उनके आवास एवं मोबाईल (इन्टरनेट सुविधा सहित) रिचार्ज के लिए दूरभाष मद में अधिकतम रू0 3000/–(तीन हजार) प्रतिमाह देय होगा।

5. माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों हेतु एक आशुलिपिक, एक कार्यालय परिचारी/ITBoy की स्वीकृति पूर्व में दी गई है। इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए एक–एक आप्त सचिव एवं माननीय अध्यक्ष के लिए एक अतिरिक्त कार्यालय परिचारी की प्रतिनियुक्ति की जा सकती है। स्वीकृति के उपरांत कर्मियों की स्थिति इस प्रकार होगी :–

पदनाम	आप्त सचिव	आशुलिपिक–सह–डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	कार्यालय परिचारी
1	**2**	**3**	**4**
अध्यक्ष	1	1	2
सदस्य–1	1	1	1
सदस्य–2	1	1	1
कुल	**3**	**3**	**4**

6. वैसे सदस्य जो अन्य श्रोतों से वेतन प्राप्त करते हैं, को वेतन छोड़कर अन्य सुविधाएँ प्राप्त होंगी। उपर्युक्त सुविधाएँ योगदान की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
एस0 सिद्धार्थ,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 554-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in